



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 16, 2025 (PAUSA 26, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2025

संख्या 08/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

(i) व्याख्या से संबंधित पैरा 4 में, प्रथम अप्रैल, 2025 से प्रभावी, —

(क) खंड (xxxv) का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए “विशिष्ट परिसर” से अभिप्राय है,—

(क) ऐसा परिसर जहां से प्रदायकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी ‘होटल आवास’ सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई के प्रदाय का मूल्य सात हजार पांच सौ रुपये प्रति इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य है; या

(ख) ऐसा परिसर जिसके लिए ‘होटल आवास’ सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च के अपश्चात् उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर के रूप में घोषित करते हुए घोषणा दायर की है; या

(ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिन के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;”;

(ii) अनुबंध VI के बाद, निम्नलिखित अनुबंध रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“अनुबंध VII**पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑफ्ट-इन घोषणा**

(देखिए खंड 4 (xxxvi))

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या—

दिनांक:—

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) यह घोषणा करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष(yyyy-yy)..... के लिए 'विशिष्ट परिसर' होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दायर करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम:—

जीएसटीआईएन :—

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

टिप्पण:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद किन्तु पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पूर्व दायर की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दायर करनी होगी।

अनुबंध VIII**पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑफ्ट-इन घोषणा**

(देखिए खंड 4(xxxvi))

अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या—

दिनांक:—

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दायर करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम:—

एआरएन:—

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

टिप्पण : उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दायर करनी होगी।

अनुबंध IX

ऑफ्ट-आउट घोषणा

(देखिए खंड 4 (vi))

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिकारिता क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या—

दिनांक:—

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष(YYYY-YY)..... के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध VII में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दायर करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम:—

जीएसटीआईएन/एआरएन:—

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

टिप्पण:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद किन्तु पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पूर्व दायर की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दायर करनी होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th January, 2025

No. 08/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(i) in paragraph 4 relating to *Explanation*, with effect from the 1st day of April, 2025,-

(a) clause (xxxv) shall be omitted;

(b) for clause (xxxvi), the following clause shall be substituted, namely:-

“(xxxvi) “Specified premises”, for a financial year, means,-

(a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, ‘hotel accommodation’ service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or

- (b) a premises for which a registered person supplying 'hotel accommodation' service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or
 - (c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;";
- (ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:—

“Annexure VII

OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

1. I/We (name of Person) do hereby declare that the premises at(address)..... shall be a 'specified premises' for the Financial Year(yyyy-yy).....
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as a 'specified premises' for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure VIII

OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

1. I/We (name of Person) have applied for registration *vide* ARN No. and do hereby declare that the premises at(address)..... shall be a 'specified premises' from the effective date of registration till the end of the Financial Year.
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note: The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure IX
OPT-OUT DECLARATION

(See para 4(xxxvi))

**Declaration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority
declaring the premises as not a 'specified premises'.**

Reference No.-

Date: -

1. I/We (name of Person) do hereby declare that the premises at(address)..... shall not be a 'specified premises' for the Financial Year(yyyy-yy).....

2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: -

GSTIN/ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as not a 'specified premises', for a Financial Year, shall be filed on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.”.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.